Himalayan J. Soc. Sci. & Humanities ISSN: 0975-9891
Vol. 13, (2018) 23-33

मुस्लिम भरण–पोषण (नफक) की विधि : एक अवलोकन

मानवेन्द्र सिंह गुंसाई

विधि संकाय, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी परिसर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

*Corresponding Author Email:

Received: 25.09.2018; Revised: 29.11.2018; Accepted: 04.12.2018.
©Society for Himalayan Action Research and Development

Abstract: प्रस्तुत शोध पत्र में मुस्लिम धर्म के अन्तर्गत भरण पोषण की विधि का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को आधार मानकर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

Keywords: मुस्लिम विधि, भरण पोषण, उच्चतम न्यायालय

भरण–पोषण का अरबी पर्याय 'नफक' है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो कुछ व्यक्ति अपने परिवार पर खर्च करे। विधिक भाव में भरण–पोषण तीन बातों का संकेत क्रमशः पहला भोजन दूसरा वस्त्र तथा तीसरा निवास स्थान । फतवा ए आलमगिरी कहती है भरण–पोषण का अर्थ भोजन, वस्त्र और निवास स्थान होता है यद्यपि सामान्य अर्थ में यह केवल भोजन तक ही सीमित है।

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत केवल पत्नी ही, चाहे वह स्वयं धन सम्पन्न हो या निर्धन, पति से भरण–पोषण पाने की हकदार होती है और वह भी इसलिए कि उसका यह अधिकार उसकी विवाह संविदा में प्रतिफल में सदृश होता है। स्वयं धन से समर्थ होने पर अवयस्क पुत्र पुत्रियों के भी भरण पोषण की अपेक्षा की जाती है। अन्य सम्बन्धियों से भरण–पोषण की अपेक्षा तभी की जाती है जब वह विधितः उन सम्बन्धियों से उत्तराधिकार पाने का हकदार हो और वे निर्धन तथा अपना खर्च चलाने में असमर्थ है।

"अल्लाह का आदेश है कि तू अपने माता–पिता के प्रति दयावान रह, यदि उनमें से कोई एक या दोनों तेरे साथ रहते हुए वृद्व हो जाएं, इसलिए उनसे यह न कह कि तुम्हें धिक्कार है, न ही उनका तिरस्कार कर बल्कि उनके साथ सम्मान से बोल और उनके साथ मृदु स्नेह और नम्रता के साथ व्यवहार कर और कह कि ऐ खुदा, उन दोनों पर कृपा रख क्योंकि उन्होंने मुझे बाल्यकाल से पाला–पोसा है और जो तेरे कुटुम्बी है उनके प्रति अपने उचित कर्तव्यों का पालन कर।" कुरान के अध्याय 17 में भरण–पोषण के बारे में प्रत्येक मुसलमान पर दायित्व सौंपते हुए कहा गया है

भारत में रहने वाले मुसलमानों पर दो प्रकार की विधि भरण–पोषण के सम्बन्ध में लागू होती है। प्रथम वह जो व्यक्तिगत विधि के रूप में जानी जाती है और दूसरे प्रकार की विधि के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एवं उससे सम्बन्धित धारायें आती है।

नियमतः मुस्लिम के अन्तर्गत केवल पत्नी और अवयस्क सन्तान को छोड़कर कोई अन्य सम्बन्धी जो सम्पन्न हो, भरण–पोषण का अधिकारी नहीं होता परन्तु प्रत्येक मुसलमान अपने पूर्वजों और बंशजों के लिए भरण–पोषण का प्रबन्ध करने के लिए बाध्य है और उनसे भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। बशर्ते कि भरण–पोषण देने वाला व्यक्ति स्वयं अकिंचन न हो। हनफी विधि के अनुसार निषिद्व आसत्तियों के भीतर के रक्त सम्बन्धियों के बीच भरण–पोषण के

पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों का उदभव होता है। मुस्लिम विधि के अनुसार केवल वे ही लोग भरण–पोषण के अधिकारी हैं जो दरिद्र एवं निर्धन है अपनी जीविका उपार्जन करने में असमर्थ हैं।

प्रत्येक मुसलमान भरण–पोषण के लिए अपनें बंशजो, अपने पूर्वजों, अपने खानदानियों और अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदार होता है। अपने सभी अवयस्क सन्तान जरूरतमन्द एवं विकलांग वयस्क सन्तान के भरण–पोषण की जिम्मेदारी पिता की होती है। विल्सन के मतानुसार पुत्र तब तक पिता के भरण–पोषण करने का अधिकारी होता है जब तक कि वह भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अन्तर्गत वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता, परन्तु मुल्ला एवं फैजी के अनुसार पिता के भरण–पोषण का दायित्व तभी तक रहता है जब तक कि पुत्र यौवनावस्था को न प्राप्त हो जाएं।

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पिता पुत्र का भरण–पोषण करने के लिए तब तक दायित्वाधीन है जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाता। विधवा या तलाकशुदा पुत्री भी पिता से भरण–पोषण पाने की हकदार है। यदि वह स्वयं अपने भरण–पोषण करने में असमर्थ हो, बच्चे मां के संरक्षण में हो तो भी पिता उनका भरण–पोषण करने के लिए बाध्य है।

लड़की पिता से भरण पोषण तभी प्राप्त करती है जब वह पिता के साथ रहे बिना किसी उचित कारण के पिता से अलग रहने पर भरण –पोषण मान्य नहीं होगा। यदि पिता दरिद्र है और कोई साधन नहीं है तथा माँ बच्चों का भरण–पोषण करने में असमर्थ है तो दादा–दादी का कर्तव्य है वे उनका भरण–पोषण करें। पुत्र की विधवा का भरण–पोषण करना ससुर का दायित्व नहीं है।

नूर सबा खातून बनाम मो0 कासिम (1997) – उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि एक मुस्लिम तलाकशुदा स्त्री को अपने अवयस्क बच्चों के लिए अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है जब तक कि वो वयस्क न हो जाए। यह भी कहा कि पत्नी का यह अधिकार मुस्लिम विधि के अन्तर्गत तथा धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भी सम्पूर्ण है जब तक बच्चे तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे हों।

न्यायालय ने यह भी कहा कि बच्चों के लिए भरण–पोषण प्राप्त करने का यह अधिकार मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986 की धारा 3 (1) (B) जिसके अन्तर्गत उसे बच्चों के लिए केवल 2 वर्ष तक ही भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, से भी न तो प्रभावित होगा, न हीं नियन्त्रित हो सकता है।

पति अपनी पत्नी का भरण–पोषण करने के लिए बाध्य है, पति का पत्नी को भरण–पोषण प्राप्त करने का दायित्व उस समय प्रारम्भ होता है जबकि पत्नी यौवनावस्था को प्राप्त हो जाती है, इससे पहले नहीं। पत्नी पति से भरण–पोषण की अधिकारिणी है, भले ही वह सम्पन्न हो और पति गरीब। पत्नी चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, गरीब हो या अमीर, स्वस्थ हो या रोगी, युवा हो या वृद्ध, वह सभी अवस्थाओं में पति से भरण–पोषण पाने की हकदार है। पति उसे भरण–पोषण का करार न होने पर भी भरण–पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य है। यदि पत्नी के पास निजी संम्पति या आमदनी हो तो भी उसका अधिकार ज्यों का त्यों बना रहता है। इसके अतिरिक्त उसे करार किये अन्य खर्च जैसे खर्च–इ पानदान, गुजारा, मेवाखोरी आदि देने के लिए बाध्य है। यद्यपि मुस्लिम विधि के अन्तर्गत, पति एक से अधिक पत्नियाँ एक साथ रखने के लिए स्वतन्त्र है, फिर भी यदि वह दूसरा विवाह करता है तो प्रथम पत्नी भरण–पोषण एवं पृथक निवास के लिए दावा करने की हकदार है।

मुस्लिम विधि में निम्न परिस्थितियों में पति उसका भरण–पोषण करने के लिए बाध्य है–

1. उसने यौवनावस्था प्राप्त कर ली है अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें वह अपने पति के दाम्पत्य अधिकारों को पूरा कर सकती है।

2. वह अपने को उसके अधिकार में समर्पित कर देती है या कर देने को प्रस्तुत है जिसमें कि पति हर वैध समय पर उसके पास बेरोक–टोक पहुँच सके और वह उसकी सब वैध आज्ञाओं का पालन करती है।
3. मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पति तभी पत्नी का भरण–पोषण करने के लिए बाध्य होगा जबकि विवाह मान्य हो, यदि विवाह अनियमित या शून्य है तो पत्नी भरण–पोषण नहीं पा सकती। शिया के अन्तर्गत मुता विवाह की पत्नी भरण–पोषण नहीं पा सकती।

चाँद पटेल बनाम् बिस्मिल्लाह बेगम (2008) अनियमित विवाह की पत्नी भी भरण–पोषण की हकदार है।
एक मुस्लिम पत्नी नीचे दी गई परिस्थितियों में भरण–पोषण की हकदार नहीं होती –

1. यदि वह दाम्पत्य अधिवास को बिना मान्य कारण के त्याग देती है।
2. यदि वह अपने पति को अपने पास नहीं आने देती।
3. यदि वह उसकी युक्तिसंगत आज्ञाओं का पालन नहीं करती।
4. यदि वह किसी वैध कारण के बिना पति के साथ रहने से इन्कार करती है।
5. यदि पत्नी को कारावास हो गया है।
6. यदि वह किसी के साथ भाग गई है।
7. यदि वह अवयस्क है जिसकी वजह से विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है।
8. यदि वह स्वेच्छा से पति को छोड़ जाती है, अपने दाम्पत्य कर्तव्य का पालन नहीं करती।
9. यदि पति के दूसरे विवाह कर लेने पर उसे त्याग देने का समझौता कर लेती है।

पत्नी का पति से या पति की सम्पति से भरण–पोषण पाने का अधिकार पति की मृत्यु हो जाने पर समाप्त हो जाता है। अतः मुस्लिम स्त्री पति की मृत्यु की इद्दत के दौरान भरण–पोषण की हकदार नहीं होती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भी विधवा भरण–पोषण की हकदार नहीं होती।

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत ऐसी स्त्री, जिसका विवाह–विच्छेद हो गया है, अपने पूर्व पति से इद्दत काल तक भरण–पोषण पाने की हकदार है, किन्तु इद्दत काल के पश्चात नहीं।

मुस्लिम तलाकशुदा स्त्री का भरण–पोषण का अधिकार कुरान की आयत (241:2) पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि "तलाकशुदा स्त्री को इद्दत की अवधि में उसी तरह से रहने दो जिस तरह से तुम रहते हो, अपना पैंसा खर्च करो, उन्हें परेशान मत करो यदि वह गर्भवती है तब उन पर तब तक अपना पैंसा खर्च करो जब तक वह अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाती है, यदि वह तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाती है तब उन्हें उनका उपचार दो।"

"और तलाकशुदा स्त्रियों के लिए एक अच्छा न्यायिक प्रावधान होना चाहिए। यह दायित्व उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं।"

[1]**बाई ताहिरा बनाम् अली हुसैन** – सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया कि तलाकशुदा पत्नी द्वारा भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार अधिनियमित अधिकार है, इसे मुस्लिम विधि के नियमों से पराजित किया जा सकता है।
[1]**(A.I.R. 1979 S.C. 362)**

[2]**जोहरा खातून बनाम् मोहम्मद इब्राहिम** –सुप्रीम कोर्ट ने यह मत व्यक्त किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अन्तर्गत न केवल तलाकशुदा पत्नी ही सम्मलित है, बल्कि इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी भी सम्मलित है जिसने मुस्लिम विवाह विच्छेद अधि0 1939 के अन्तर्गत विवाह विघटन की डिक्री प्राप्त कर ली है।

इस अधि0 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर लेने के पश्चात भी पत्नी अपने पूर्व पति से भरण –पोषण प्राप्त कर सकती है,बशर्ते उसने दूसरा विवाह न कर लिया हो।

[3]**मोहम्मद अहमद खाँ बनाम् शाहबानों बेगम** – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही स्थिति यह है कि यदि तलाकशुदा पत्नी अपना भरण–पोषण करने में सक्षम है तो इसका भरण–पोषण करने का पति का उत्तरदायित्व इद्दत की अवधि के पश्चात समाप्त हो जाता है, यदि वह भरण–पोषण करने में असमर्थ है तो वह धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेने की पात्र है, ऐसी तलाकशुदा पत्नी, जिसने पुर्नविवाह नहीं किया है, इद्दत की अवधि के पश्चात भी अपने पूर्व पति से भरण–पोषण प्राप्त करने की हकदार है।

[4]**सेक्रेट्री तमिलनाडु वक्फ बोर्ड बनाम् सैयद फातिमा** – सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ऐसी महिला का अधिकार है कि वह मुस्लिम महिला अधि0 1986 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत भरण–पोषण बच्चे या माता–पिता से लेने के पहले सीधे धारा 4 (2) के अन्तर्गत वक्फ बोर्ड में जा सकती है परन्तु उसे वहाँ यह सिद्ध करना होगा कि बच्चे और माता–पिता भरण–पोषण देने में असमर्थ है।

[5]**श्रीमती जैतून बाई मुबारक शेख बनाम् मुबारकपुर फखरूद्दीन शेख**

न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिला अधि0 1986 की धारा 4 के अन्तर्गत ऐसी तलाकशुदा मुस्लिम महिला जिसने पुर्नविवाह नहीं किया और वह स्वयं का भरण–पोषण करने में अक्षम है तब इद्दत के पश्चात वह अपने सम्बन्धियों से अथवा राज्य वक्फ बोर्ड से भरण–पोषण की अधिकारी होगी।

[6]**डेनियल लतीफी बनाम् भारत संघ:-** उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में अपने पूर्व में दिये शहबानों केस के निर्णय हो उचित ठहराया है।

[2]**(A.I.R. 1984 S.C. 1243)**
[3]**(A.I.R. 1985 S.C. 945)**
[4]**(A.I.R.1996 S.C.2423)**
[5]**(1999) Criminal Law General 3446**
[6]**(2001) S.C.C. 740**

[7]**इकबाल बानो बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य -** इस वाद में न्यायालय ने यह भी कहा कि मुस्लिम महिला अधि0 की धारा 3 (1) (A) के अधीन एक मुस्लिम पति का अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण –पोषण का दायित्व केवल इद्दत की अवधि तक ही नहीं है बल्कि उसे इस अवधि में अपनी इस पत्नी के गुजारे के लिए युक्तियुक्त एवं उचित प्रावधान भी करना होगा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि भरण–पोषण से सम्बन्धित वाद आज भी दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के तहत निपटाये जायेंगे। न्यायालय को यह भी अधिकार है कि वह इसे मुस्लिम महिला अधि0 1986 के अन्तर्गत मानकर उपचार दे दें क्योंकि दोनों अधिनियमों का उददेश्य सामाजिक कल्याण ही है।

[8]**शबाना बानो बनाम् इमरान खानः** – इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक मुस्लिम महिला को जिसे तलाक दे दिया गया है, धारा 125 के तहत इद्दत अवधि के पश्चात भी भरण–पोषण पाने का अधिकार है, जब तक कि वह दूसरा विवाह न कर ले।

यदि पत्नी वयस्क एवं पति अवयस्क है तब भी वह भरण–पोषण देने के लिए उत्तरदाई है, यदि अवयस्क पति की आमदनी का कोई साधन नहीं है तो अवयस्क का पिता इसके लिए जिम्मेदार है।

हनफी विधि के अनुसार पति द्वारा पत्नी को देय भरण–पोषण के खर्च की दर निर्धारित करने में पति –पत्नी दोनों की सामाजिक स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है।

शेफई विधि के अनुसार केवल पति की स्थिति को ध्यान में रखना उचित है।

शिया विधि में यह है कि भरण –पोषण का खर्च पत्नी को मसालों, भोजन, वस्त्र, निवास स्थान, सेवा और हिसाब रखने के उपकरणों की अपेक्षाओं के अनुसार उसी नगर में उनकी बिरादरी के समकक्ष लोगों की रूढ़ियों पर उचित ध्यान देते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अन्तर्गत भरण–पोषण की धनराशि न्यायालय द्वारा पक्षकारों की हैसियत को देखते हुये निर्धारित की जायेगी।

धर्म त्याग का भरण–पोषण की जिम्मेदारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अधर्मज अवयस्क सन्तान के भरण–पोषण का दायित्व मुस्लिम विधि के अन्तर्गत उसकी माँ पर होता है पिता पर नहीं, परन्तु Cr.P.C 1973 की Sec 125 के अन्तर्गत न्यायालय पिता से भरण–पोषण दिलवा सकता है।

[7]**(2007) 6 S.C. Case 785**
[8]**(A.I.R. 2010 S.C. 305)**

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ एस0आर0मैनी–मुस्लिम लॉ एवं अन्य व्यक्तिगत विधि।
2. अकील अहमद– मुस्लिम लॉ।
3. राशिद खालिद मुस्लिम लॉ।
4. मलिक विजय–मुस्लिम लॉ (विवाह, तलाक, भरण–पोषण)।
5. मुल्ला– मुस्लिम लॉ।
6. वी0आर0कृष्णा अयर –मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद सुरक्षा अधि0 1986।
7. शाहिद खालिद रसीद – मुस्लिम लॉ।
8. ताहिर महमूद – मुस्लिम लॉ।
9. आरिफ मोहम्मद खान – मुस्लिम लॉ।
10. कृष्णा अयर – मुस्लिम लॉ।
11. डॉ सिन्हां – मुस्लिम लॉ।